



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ, 1944 (श०)

संख्या - 268 राँची, शुक्रवार,

10 जून, 2022 (ई०)

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

6 जून, 2022 / 16, ज्येष्ठ, 1944 (शक)

सं. 576/एक्जिट/2022/एसडीआर/खंड-1।--यतः निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 25 मई, 2022 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./52/2022 के तहत घोषित पंजाब के 12-संगरूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उत्तरप्रदेश के 7-रामपुर एवं 69-आजमगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों, त्रिपुरा के 6-अगरतला, 8-टाउन बोरडोवाली, 46-सुरमा (अ.जा.) एवं 57-जुबराजनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों, आंध्रप्रदेश के 115-अट्माकुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 39-राजिन्द्र नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और झारखण्ड के 66-मान्डर (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए कार्यक्रम की घोषणा की गई थी; और:

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (संक्षेप में लो.प्र. अधिनियम, 1951) की धारा 126क में यह निर्दिष्ट किया गया है कि "(1) कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का, ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति में प्रसार नहीं करेगा।

(2) निर्वाचन आयोग, उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए साधारण आदेश द्वारा तारीख और समय अधिसूचित करेगा, अर्थात :-

(क) साधारण निर्वाचन की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने के आधे घंटे तक जारी रह सकेगी;

परंतु भिन्न-भिन्न दिनों पर एक साथ कराए जाने वाले अनेक उप-निर्वाचनों की दशा में, वह अवधि मतदान के पहले दिन को मतदान के लिए नियत समय के आरंभ होने से प्रारंभ हो सकेगी और अंतिम मतदान समाप्त होने के पश्चात आधे घंटे तक जारी रह सकेगी।

(3) ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा।"

अब, इसलिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत, 23.06.2022 (बृहस्पतिवार) को पूर्वाह्न 07.00 बजे से अपराह्न 6.30 बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान उपर उल्लिखित उप-निर्वाचनों के संदर्भ में किसी भी प्रकार के एग्रीजिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1) (ख) के अधीन उपर्युक्त उप-निर्वाचनों में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा।

आदेश से,

नरेन्द्र ना.बुटोलिया,
वरिष्ठ प्रधान सचिव

उपरोक्त अधिसूचना का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से.

के० रवि कुमार,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA**NOTIFICATION**6th June, 2022/ 16 Jyeshth, 1944 (Saka)

No. 576/EXIT/2022/SDR/Vol.II--Whereas, the schedule for the bye election to the 12-Sangrur Parliamentary Constituency of Punjab, 7-Rampur Parliamentary Constituency & 69-Azamgarh Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh, 06-Agartala, 08-Town Bordowali, 46-Surma(SC) & 57-Jubarajnagar Assembly Constituencies of Tripura, 115-Atmakur Assembly Constituency of Andhra Pradesh, 39-Rajinder Nagar Assembly Constituency of NCT of Delhi and 66-Mandar(ST) Assembly Constituency of Jharkhand, announced vide the Election Commission's Press Note No. ECI/PN/52/2022 dated 25th May, 2022.

And whereas, Section 126A of The Representation of the People Act, 1951 (in short R.P. Act, 1951) specifies that "(1)No person shall conduct any exit poll and publish or publicise by means of the print or electronic media or disseminate in any other manner, whatsoever, the result of any exit poll during such period, as may be notified by the Election Commission in this regard.

(2) For the purposes of sub-section (1), the Election Commission shall, by a general order, notify the date and time having due regard to the following, namely:-

(a) in case of a general election, the period may commence from the beginning of the hours fixed for poll on the first day of poll and continue till half an hour after closing of the poll in all the States and Union territories;

Provided that in case of a number of bye-elections held together on different days, the period may commence from the beginning of the hours fixed for poll on the first day of poll and continue till half an hour after closing of the last poll.

(3) Any person who contravenes the provisions of this section shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine or with both."

Now, therefore, in exercise of the powers under sub-Section (1) of Section 126A of the R.P. Act, 1951, the Election Commission, having regard to the provisions of sub-Section (2)(b) of the said Section, hereby notifies the period between **7:00 A.M. and 6.30 P.M. on 23-06-2022 (Thursday)**, as the period during which conducting any exit poll and publishing or publicizing by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner whatsoever, the result of any exit poll in connection with the aforesaid bye-elections, shall be prohibited.

It is further clarified that under Section 126(1)(b) of the R.P. Act, 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hours fixed for conclusion of poll for the aforesaid bye-elections.

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA,
SR.PR. SECRETARY